जय संघ !　　　　　　संघे शक्ति कलियुगे　　　　　　जय महासंघ !

झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ

JHARKHAND STATE ACCOUNTS CLERK ASSOCIATION

(झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध)
सिंचाई परिसर , बरमसिया , बी0 देवघर–814112
E-mail-jharkhadacassociation@rediffmail.com,Mob-9430369450.

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 06.05.2018 को झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ के सामान्य परिषद की बैठक श्री प्रिय रंजन मिश्र, लेखा लिपिक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, देवघर की अध्यक्षता एवं श्री अविनाश कुमार मिश्र, लेखा लिपिक, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, देवघर के संयोजन में हुई। बैठक में उपस्थित साथियों का हस्ताक्षर पंजी में अंकित है।

बैठक में जल संसाधन (लघु सिंचाई सहित) पथ निर्माण विभाग, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, (ग्रामीण कार्य मामले) सहित विभिन्न कार्य विभागों के देवघर सहित विभिन्न जिले के लेखा लिपिको ने भाग लिया।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष ने उपस्थित सभी साथियों का परिचय कराते हुए बैठक की आवश्यकता एवं महत्ता पर प्रकाश डाला। इसके उपरांत अध्यक्ष ने आज बैठक में विचारनीय बिन्दु/प्रस्ताव को रखने के लिये श्री अविनाश कुमार मिश्र, संयोजक को आमंत्रित किया। श्री अविनाश कुमार मिश्र ने प्रस्ताव को रखने के पूर्व बैठक में आए हुए सभी लेखा लिपिको के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन चुनौतियों का संक्षेप वर्णन किया जिनका आए दिन सभी लेखा लिपिको को सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा कहा गया कि विभिन्न कार्य विभाग/प्रमंडल में अलग–थलग रहने के बजाय एक मंच पर सांगठित रूप मजबूत होना आवश्यक एवं समय की मांग है। उन्होनें कहा कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना ज्ञापांक 1745, दिनांक 24.04.2018 द्वारा लेखा लिपिकों के गठित सम्वर्गीय नियमावली के तहत प्रौन्नति की कार्रवाई सभी कार्य विभाग से करवाने के लिये सांगठनिक पहल/कार्रवाई की आवश्यकता है। इस क्रम में उन्होने सभी कार्य विभागों के विभागीय सचिव को पत्र लिखने, संघ सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क रू0 251.00 एवं वार्षिक शुल्क रू0 2400.00 करने, संघ की परिष्कृत नियमावली अंगीकृत करने, संघ के सभी सदस्यों को रू0 1,00,000.00 की बीमा की सुविधा संघ के कल्याण कोष से देने, पुरानी संयोजन समिति को विघटित कर नयी संयोजन समिति गठित करने सहित कुल 11 प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा।

अध्यक्ष श्री प्रियरंजन मिश्र ने रखे गए प्रस्ताव पर राय/चर्चा के लिये सभी साथियों को बारी–बारी से आमंत्रित किया। प्रस्ताव पर चर्चा/बहस में विभिन्न साथियों ने भाग लिया, जिसमें श्री अरूण कुमार, (सिंचाई प्रमंडल, देवघर), श्री रंजन प्रसाद सिन्हा, (पथ प्रमंडल, देवघर), श्री प्रेम कुमार मिश्र, (गुण नियंत्रण प्रमंडल, देवघर), श्री श्वेतांक कुमार राज, (ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, देवघर), श्री रोशन कुमार, (सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया, मधुपुर), श्री चंदन कुमार, (लघु सिंचाई, देवघर), श्री राकेश कुमार, (सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया), मो0 मेंहदी ईमाम, (सिंचाई प्रमंडल सिकटिया, मधुपुर), श्री जय प्रकाश साह, (बॉध प्रमंडल, पुनासी, शि0– देवघर), श्री निशांत कुमार, (पथ प्रमंडल, देवघर), श्री भीष्म नारायण सिंह, (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, देवघर), श्री ब्रजेश कुमार झा, (पुनासी स्पीलवे प्रमंडल पुनासी शिविर–देवघर), मो0 तफसीरूल हसन, (पुनासी बॉध प्रमंडल, पुनासी, शिविर– देवघर), श्री संजय कुमार

तिवारी, (पथ प्रमंडल, देवघर), श्री अमरेश कुमार (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लोहरद्ग्गा), श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, (पथ प्रमंडल, देवघर), श्री विजय कुमार निराला, (सिंचाई प्रमंडल, देवघर), श्री विश्वजीत कुमार झा, (ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा), श्री मुकेश कुमार सिंह, (रूपांकण प्रमंडल सं0– 4, देवघर), श्री राहुल तिवारी, (सिंचाई प्रमंडल, देवघर), श्री श्याम नन्दन प्रसाद (पुनासी बॉध प्रमंडल, पुनासी, शिविर– देवघर), श्री दिग्विजय राणा, (ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, देवघर), श्री प्रहलाद बैठा, (सिंचाई प्रमंडल, देवघर), श्री सौरभ कुमार, (ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका), श्री रवि प्रकाश, (सिंचाई प्रमंडल, बरहरवा, साहेबगंज), श्री राम नारायण यादव, (पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, पुनासी, शिविर– देवघर) आदि शामिल थें।

श्री अरूण कुमार, सिंचाई प्रमंडल, देवघर, श्री प्रेम कुमार मिश्र, गुण नियंत्रण, देवघर, मो0 मेहदी इमाम, सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया–2, मधुपुर, श्री भीष्म नारायण सिंह, राष्ट्रीय उच्च पथ, देवघर, श्री विजय कुमार निराला, (सिंचाई प्रमंडल, देवघर),श्री अमरेश कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लोहरदग्गा, श्री रंजन प्रसाद सिन्हा, पथ प्रमंडल, देवघर, श्री विश्वजीत कुमार झा, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा, श्री प्रहलाद बैठा, (सिंचाई प्रमंडल, देवघर),श्री संजय कुमार तिवारी, पथ प्रमंडल, देवघर, मो0 तफसीरूल हसन, पुनासी बॉध प्रमंडल, पुनासी, शि0– देवघर, श्री ब्रजेश कुमार झा, पुनासी स्पीलवे प्रमंडल पुनासी, शि0– देवघर, श्री सौरभ कुमार, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका आदि ने विशेष रूप विस्तृत चर्चा में भाग लिया एवं सांगठनिक एकजुटता पर बल देते हुए इसकी आवश्यकता के साथ आवश्यक एवं महत्तवपूर्ण सुझाव दिये गये। सभी साथियों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। प्रस्ताव पर सभी साथियों से विस्तृत चर्चा कराने के उपरांत अध्यक्ष ने निम्न 11 प्रस्ताव को सर्व सम्मति से निम्न रूपेण पारित होने की घोषणा की–

(1) राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना ज्ञापांक 1745, दिनांक 24.04.2018 के द्वारा कार्य विभाग को लेखा लिपिको के लिये लागू किये गये संवर्ग नियमावली के तहत प्रोन्नति के लिये एवं इस क्रम में वरीयता निर्धारण की कार्रवाई विभाग स्तर पर प्रारंभ किये जाने हेतु संघ द्वारा संबंधित विभागीय सचिव को पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया। नियमावली के तहत प्रोन्निति के क्रम में आने वाले कठिनाईयों के निराकरण हेतु सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। संघ स्तर पर भी विभागवार वरीयता तैयार करने एवं प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।

(2) रू0 251 के प्रवेश शुल्क एवं 2400.00 रू0 के वार्षिक चन्दा के प्रावधान सहित झारखण्ड राज्य लेखा लिपिक संघ की नियमावली को परिष्कृत रूप में अंगीकृत किया गया। सदस्यता विस्तार के क्रम में अग्रेत्तर नये संशोधन प्रस्ताव अगली सामन्य परिषद की बैठक में रखे जाने के निर्णय लिया गया है।

(3) संघ के नियमावली के तहत संघ के पदाधिकारियों के विधिवत् निर्वाचन होने के पूर्व सदस्यता विस्तार अभियान के क्रम में पूर्व के संयोजन समिति को विघटित करते हुए 68 सदस्यी निम्न रूपेण संयोजन समिति पुर्नगठित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया एवं आवश्यक होने पर अगली सामान्य परिषद की बैठक में इसे संशोधित किया जा सकेगाः–

नवगठित संयोजन समितिः–

क्र0	नम	सांगठनिक दायित्व	पता/कार्यालय का नाम
1	श्री अविनाश कुमार मिश्र	राज्य संयोजक	ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, देवघर
2	,, ब्रजेश कुमार झा	केन्द्रीय कोषाध्यक्ष	पुनासी स्पीलवें प0 पु0 देवघर
3	" प्रहलाद बैठा	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई प्रमंडल, देवघर
4	" विजय कुमार निराला	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई प्रमंडल, देवघर
5	" भीष्म नाराण सिंह	क्षेत्रीय संयोजक	राष्ट्रीय उच्च पथ, देवघर
6	" नीरज कुमार सिन्हा	क्षेत्रीय संयोजक	लधु वि प्र सं0–12, मानगो

क्र0	नम	सांगठनिक दायित्व	पता / कार्यालय का नाम
7	" प्रिय रंजन मिश्र	क्षेत्रीय संयोजक	ग्रामीण कार्य, देवघर
8	" अनीश शाही	क्षेत्रीय संयोजक	लघु सिंचाई, धनबाद
9	" मुकेश कुमार सिंह	क्षेत्रीय संयोजक	रूपांकण प्रमंडल–4, देवघर
10	" निरंजन कुमार सिन्हा	क्षेत्रीय संयोजक	ग्रामीण विकास वि0 प्र0 देवघर
11	" अंजनी कान्त झा	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची
12	" अमरेश कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वच्छता, लोहरदग्गा
13	" अजीत शर्मा	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर
14	" राघवेन्द्र चन्द्र देव	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वच्छता, सिमडेगा
15	" रंजन प्र0 सिन्हा	क्षेत्रीय संयोजक	पथ प्रमंडल, देवघर
16	" संजय कुमार तिवारी	क्षेत्रीय संयोजक	पथ प्रमंडल, देवघर
17	" पंकज कुमार वर्मा	क्षेत्रीय संयोजक	ग्रामीण विकास वि प्र0, दुमका
18	" तफसीरूल हसन	क्षेत्रीय संयोजक	पुनासी बाँध प्र0 पु0 शि0 देवघर
19	" सौरभ कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	ग्रामीण विकास वि0 प्र0 दुमका
20	" विश्वजीत कुमार झा	क्षेत्रीय संयोजक	ग्रामीण विकास वि0 प्र0, गोड्डा
21	" प्रेम कुमार मिश्र	क्षेत्रीय संयोजक	गुण नियंत्रण प्रमंडल, देवघर
22	" पभाकर कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	पथ प्रमंडल, हजारीबाग
23	" विनोद कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई प्रमंडल, बरही
24	" अजय कुमार चौधरी	क्षेत्रीय संयोजक	पथ प्रमंडल, सिमडेगा
25	" मेहदी इमाम	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई प्र0 सिकटिया–2 मधुपुर
26	" अजीत कुमार झा	क्षेत्रीय संयोजक	ग्रामीण विकास वि0 प्र0 राँची
27	" बिजू आब्रहम	क्षेत्रीय संयोजक	लघु सिंचाई प्र0, सिमडेगा
28	" विजय कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय संयोजक	ग्रामीण विकास वि0, प्र0 धनबाद
29	" रौशन कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई प्र0 सिकटिया–2 मधुपुर
30	" अनवर सलाम	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई प्रमंडल बरहेट
31	" कृष्ण कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वछता, देवघर
32	" प्रवीण कुमार त्रिवेदी	क्षेत्रीय संयोजक	ग्रामीण कार्य, गिरीडीह
33	" चंदन कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	लघु सिंचाई,देवघर
34	" राकेश कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई प्र0 सिकटिया
35	" प्रदीप कुमार सिन्हा	क्षेत्रीय संयोजक	पथ प्रमंडल, देवघर
36	" श्वेतांक कुमार राज	क्षेत्रीय संयोजक	ग्रामीण विकास वि0 प्र0, देवघर
37	" अमित अमन	क्षेत्रीय संयोजक	भवन प्रमंडल, देवघर
38	" निशांत देव	क्षेत्रीय संयोजक	पथ प्रमंडल, देवघर
39	" दिग्विजय राणा	क्षेत्रीय संयोजक	ग्रामीण विकास देवघर
40	" निशांत कुमार सिंह	क्षेत्रीय संयोजक	भवन प्रमंडल, देवघर
41	" अमुल्य कुमार झा	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वच्छता, देवघर
42	" ब्रज मोहन	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वच्छता, चतरा
43	" श्येाम नन्दन	क्षेत्रीय संयोजक	पुनासी बाँध प्र0 पु0 शि0 देवघर
44	" अरूण कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई प्रमंडल, देवघर
45	" राहुल तिवारी	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई प्रमंडल, देवघर
46	" मनीष कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई प्रमंडल , सिकटिया (प्रतिनियुक्त राँची सचिवालय)
47	मनीष कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	पुनासी स्पीलवें प0 पुनासी, देवघर
48	" मुकेश कुमार सिंह	क्षेत्रीय संयोजक	पथ प्रमंडल, गिरीडीह
49	राजीव कुमार सिंह	क्षेत्रीय संयोजक	राष्ट्रीय उच्च पथ, धनबाद
50	" आमोद कु0 चौधरी	क्षेत्रीय संयोजक	रूपांकण प्रमंडल–2, देवघर

क्र0	नम	सांगठनिक दायित्व	पता/कार्यालय का नाम
51	" मनीष कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई प्रमंडल, दुमका
52	" राजू रंजन मिश्र	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वच्छता, गढ़वा
53	" श्याम देव	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वच्छता, गिरीडीह–2
54	" सुजीत पाण्डेय	क्षेत्रीय संयोजक	तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट
55	" संजीव कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	पथ प्रमंडल, गुमला
56	" रजनीश कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	ग्रामीण विकास वि0 प्र0, बोकारो
57	फेजल हुसैन	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वच्छता, हजारीबाग
58	" संजय कुमार शर्मा	क्षेत्रीय संयोजक	लघु सिंचाई,देवघर
59	" अमित आनन्द	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वच्छता, जमशेदपुर
60	" ब्रजेश कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वच्छता, आदित्यपुर
61	" रवि प्रकाश	क्षेत्रीय संयोजक	सिंचाई प्रमंडल, बरहरवा
62	" सुधांशु कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	लघु सिंचाई, बोकारो
63	" मुनवेन्द्र कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	राष्ट्रीय उच्च पथ दल, राँची
64	" सुमनजन कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वच्छता, राँची
65	" चंदन कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	पथ प्रमंडल, राँची
66	" रंजीत कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वच्छता, कोडरमा
67	" ललन कुमार	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वच्छता, मेदनीनगर
68	" मनीष कुमार वर्मा	क्षेत्रीय संयोजक	पेयजल स्वच्छता, हजारीबाग

(4) संघ के सदस्यता सह नामांकण प्रपत्र को संशोधित/सरलीकृत रूप में अनुमोदित किया गया एवं संयोजक/क्षेत्रीय संयोजक एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप सदस्यता सह नामांकण प्रपत्र को संघ की ओर स्वीकृत किया जा सकेगा। संयोजक एवं कोषाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय संयोजक/सदस्य सहित कम से कम पॉच सदस्यीय कमिटी द्वारा सदस्य विशेष के निष्कासन की स्वीकृति दी जा सकेगी, जिसको अगली सामान्य परिषद की बैठक में रखा जायेगा। सभी सदस्यता को Website पर प्रकाशित किया जायेगा।

(5) संघ के द्वारा प्राप्त एवं उसके द्वारा व्यय का त्रैमासिक विवरणी नियमित एवं पारदर्शी रूप से Whatsapp/Website के जरीये सदस्यो को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

(6) प्रवेश शुल्क एवं वार्षिक चंदा मद में संघ को प्राप्त राशि के 20 प्रतिशत से कल्याण निधि कोष के गठन का निर्णय लिया गया। सरकारी सेवा में प्रतिकूल कार्रवाई से पीड़ित होने के क्रम में लगातार 03 माह तक वेतन अभिरूद्व होने के स्थिति में सदस्य को अतिकतम् रू0 5000.00 (पाँच हजार) प्रतिमाह अधिकतम 06 माह तक सहयोग राशि के रूप में संघ के कल्याण निधि से सहयोग करने का निर्णय लिया गया। सेवा के दौरान अस्थाई अपंगता की स्थिति में अधिकतम रू0 50,000.00 एवं मृत्यु की स्थिति में अधिकतम रू0 1,00,000.00 की सहायता कल्याण निधि से दिये जाने का निर्णय लिया गया। कल्याण निधि से किसी प्रकार का भुगतान निरंतर सदस्यता के अवधि में ही अनुमान्य होगा, जो कि उपलब्ध कुल कोष के 50 प्रतिशत या उपरोक्त राशि दोनो में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगा। कल्याण निधि से संबंधित विस्तृत नियमावली भी अलग से तैयार करने का निर्णय लिया गया।

(7) संघ द्वारा प्राप्त सभी राशि केन्द्रीयकृत रूप से संगृहीत रहेगी। संयोजक/महासचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से व्यय प्रमाणक को अनुमोदित किया जायेगा। विधिवत् निर्वाचन के बाद कोष का संचालन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से कराने हेतु प्रयास किया जायेगा। सभी व्यय को वार्षिक आम सभा में रखा जायेगा। किसी भी सात सदस्यीय नोटिस पर आय व्यय की जॉच की मंजूरी दी जा सकेगी।

(8) प्रवेश शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता से प्राप्त शुल्क की राशि के व्यय को निम्नरूपेण निर्धारित करने का निर्णय लिया गया:–

(क) संघ का सामान्य प्रशासनिक / कार्यालय व्यय / विविध व्यय– 60 प्रतिशत।

(ख) संबंधित जिला प्रमंडल को स्थानीय खर्च के लिये वहाँ से प्राप्त निधि के अनुपात में अधिकतम प्रतिपूर्ति की राशि– 20 प्रतिशत

(ग) कल्याण निधि– 20 प्रतिशत

(9) संघ कि ओर से यथा अपेक्षित सांगठिनक हित में कार्रवाई के लिए संयोजक / कोषाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय संयोजक को अधिकृत किया गया। सांगठनिक कार्य हित में किसी अन्य संघ / परिसंघ / महासंघ / व्यक्ति को सहयोग एवं अपेक्षित कार्रवाई हेतु संयोजक / कोषाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय संयोजक युक्त पॉच सदस्यीय समिति को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

(10) संघ के कोष में उपलब्ध पूर्व की राशि शेष (जो भी हो) को लेकर नये सिरे से आय व्यय का लेखा तैयार करने हेतु केन्द्रीय कोषाध्यक्ष / कोष प्रभारी श्री ब्रजेश कुमार झा, पुनासी स्पीलवे प्रमंडल पुनासी,शिविर–देवघर को अधिकृत किया गया।

(11) राज्य की राजधानी रॉची में संघ के कार्यालय हेतु पहल करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह0 / –
(प्रिय रंजन मिश्र)
अध्यक्ष

पत्रांक.................. दिनांक......................

प्रतिलिपि–श्रमायुक्त, झारखंड को सूचनार्थ समर्पित

ह0 / –
(अविनाश कुमार मिश्र)
राज्य संयोजक
झारखंड राज्य लेखा लिपिक, संघ।

पत्रांक..........04..... दिनांक..........06/05/18

प्रतिलिपि–सभी संयोजक / केन्दीय कोषाध्यक्ष / संबंधित सदस्य, झारखंड राज्य लेखा लिपिक, संघ

अविनाश कुमार मिश्र 6/5/18
(अविनाश कुमार मिश्र)
राज्य संयोजक
झारखंड राज्य लेखा लिपिक, संघ।